Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding accidents caused due to Chinese " Manjha "

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान चाइनीज़ मांझे के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं ।

यह मांझा जानलेवा होने के साथ ज़हरीले नॉन-बायोग्रेडेबल संठगकों से निर्मित होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत हानिकारक है । कुछ प्रदेशों, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत चाइनीज़ मांझा की बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया हुआ है । इस प्रतिबंध के बावजूद मांझे से हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावकारी रोक नहीं लग पाई है । दुर्घटना होने पर मांझा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पहचानना व पकड़ना मुश्किल होता है तथा मांझा बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का कोई सख्त प्रावधान नहीं होने के कारण मांझे के विक्रेता कानूनी दायरे से बाहर चले जाते हैं । चाइनीज मांझे के कारण निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं ।

इस मांझे की चपेट में आने वाले टू-व्हीलर पर चलने वाले व्यक्तियों की गर्दन कट जाती है तथा यह मांझा विद्युत का संचालक होने के कारण हाई टेंशन तारों को छूता हुआ राह चलते व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यावरण एवं जीवन के लिए खतरनाक चाइनीज़ मांझा अथवा इसी प्रकार के हानिकारक मांझे के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए । इस प्रतिबंध का अनुपालन न करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ।